न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 24/2018 **(Rcms no. 2018/00033)**

उनवानी प्रकरण :–

1. बनवारी लाल पुत्र आदिराम जाति ब्राहमण निवासी बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपुर
2. इन्द्रजीत पुत्र आदिराम जाति ब्राहमण निवासी बौरेली तहसील बसेडी जिला धौलपर —————————————————— अपीलान्ट।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर ——— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.2.2018 तहसीलदार बसेडी प्र. सं. 251/2018 उनवानी राज0 सरकार बनाम बनवारीलाल वगैरा अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री किशन सिहं त्यागी अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार ।

निर्णय दिनांक :–30.05.2018

निर्णय

अपीलान्टस् द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेडी के निर्णय दिनांक 12.2.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टस् के विरूद्ध आराजी खसरा नम्बर 1476 रकवा 0.63 हैक्टेयर किस्म बंजर स्थित ग्राम बौरेली तहसील बसेडी के बावत अतिकमण की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् के विरूद्ध गलत रूप एवं गलत नाम से नोटिस जारी किये गये जिस दिन के लिये नोटिस जारी हुये उस दिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। अपीलान्टस् अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर हुये लेकिन पीठासीन अधिकारी नहीं होने के कारण रीडर ने अपीलान्टस् को यह कहकर वापिस कर दिया कि पीठासीन अधिकारी नही है पुनः सूचित कर देगे तब आकर सम्पर्क कर जबाव देही करना। इस बात पर अपीलान्टस् विश्वास करते रहे लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई दिनांक 24.4.2018 को अपीलान्टस के नाम पुलिस थाने का सिपाही नोटिस लेकर आया कि तुम्हारे खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय से फैसला हो गया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् की बैक पर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। विवादित आराजी अपीलान्टस् की अन्य खातेदारी की आराजी के बीच में पट्टी के रूप में है जिससे अन्य किसी को कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है।

जिला कलक्टर
धौलपुर

विवादित आराजी पर अपीलान्टस् का पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलान्टस् का लम्बा कब्जा है इसलिये अपीलान्टस् देरीना कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार एवम् आधिपत्यधारी है। विवादित आराजी पर पटवारी हल्का ने कोई निरीक्षण नहीं किया है जिन्स की सही टीपन पटवारी हल्का ने नहीं की है विवादित आराजी पर अपीलान्टस् की गेहूँ की फसल थी जिसे पटवारी हल्का ने सरसों गलत अकिंत किया है। अपीलाधीन निर्णय में अंकित विवेचन अधीनस्थ न्यायालय का विरोधाभासी है एक तरफ अपीलान्टस् की हाजिरी न्यायालय में मानते हैं दूसरी तरफ एक पक्षीय कार्यवाही अपीलान्टस् के विरूद्ध अमल में लाई गई है। अपीलान्ट संख्या 2 के सही नाम से नोटिस नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस् को विधिवत जबावदेरी एवं सुनवाई का मौका नहीं देकर कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। निर्णय की जानकारी दिनांक से अपील की जा रही है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 12.2.2018 पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दोरान अपील में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस् को जो नोटिस जारी किया गया उसमें दिनांक 15.1.2018 न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय ने संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया है जो नियम विरूद्ध है। प्रत्येक अतिकमी को पृथक पृथक नोटिस जारी होने चाहिए थे। नरेन्द्र और बनवारी के नाम से नोटिस जारी हुये है जबकि नरेन्द्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं। बनवारी के भाई का नाम इन्द्रजीत है। इनके नाम से नोटिस जारी नहीं हुआ है। नोटिस की तामील विधिवत नहीं हुई है। केवल बनवारी को नोटिस तामील हुआ है। नरेन्द्र/इन्द्रजीत को तामील नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि आदेश के पैरा 2 से होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। पटवारी हल्का का बयान प्रिन्टेड फार्म में है। अक्षरशः स्पष्ट नहीं लिखा है। पटवारी हल्का मौके पर गया ही नही। मौके पर गेहूँ की फसल हुई है जबकि पटवारी ने सरसों की फसल दर्ज की है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 निरस्त किया जावे ।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.1.2018 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु अपीलान्टस् को नोटिस जारी किये गये थे अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि दिनांक 15.1.2018 को पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे सिद्ध नहीं होता इस सम्बन्ध में अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक ने ऐसा

जिला कलक्टर
धौलपुर

कोई साक्ष्य या सबूत पेश नही किया है। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का यह कथन सत्य नही है कि नरेन्द्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं है बनवारी के भाई का नाम इन्द्रजीत है क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा 91 की रिपोर्ट में बनवारी, नरेन्द्र कुमार, मुरारी, इन्द्रजीत पुत्रगण आदिराम चार भाई बतलाये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किये गये है वह बनवारी, नरेन्द्र कुमार मुरारी वगैरा पुत्र आदिराम जाति ब्राहमण निवी बौरेली के नाम से जारी किये गये है। अपीलान्टस् विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आते है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है तथा अपीलान्टस् ने भी अपील मे इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका लम्बे अरसे के विवादित आराजी पर कब्जा है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्टस् पर नही हुई है नोटिस पर अपीलान्ट बनवारीलाल के हस्ताक्षर हो रहे है। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्टस् को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है गलत है जब अपीलान्टस् बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित ही नही हुऐ तो सुनवाई का अवसर कैसे दिया जा सकता था। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि पटवारी हल्का मौके पर गया ही नही मौके पर गेहूँ की फसल हुई है जबकि पटवारी ने सरसों की फसल दर्ज की है सिद्ध नहीं होता क्योंकि अपीलान्टस ने इस सम्बन्ध में कोई राजस्व अभिलेख या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.2.2018 यथावत रखा जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि

1. अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का यह कथन सत्य नहीं है कि नरेन्द्र नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। बनवारीलाल के भाई का नाम इन्द्रजीत है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी 91 की रिपोर्ट में बनवारी, नरेन्द्र कुमार, मुरारी, इन्द्रजीत पुत्रगण आदिराम चार भाई बतलाये गये है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किये गये हैं वह बनवारी, नरेन्द्र कुमार मुरारी वगैरा पुत्र आदिराम जाति ब्राहमण निवासी बौरेली के नाम से जारी किये गये है। इससे स्पष्ट है कि बनवारीलाल वगैरा चार भाई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इन्द्रजीत के नाम नोटिस जारी न कर कानूनी भूल की है ।
2. अपीलान्टस् विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आते है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से होती है तथा अपीलान्टस् ने भी अपील में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका लम्बे अरसे के विवादित आराजी पर कब्जा है ।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्टस् पर नहीं हुई है नोटिस पर अपीलान्ट बनवारीलाल के हस्ताक्षर हो रहे है।
4. अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्टस् को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है गलत है जब अपीलान्टस्

जिला कलक्टर
धौलपुर

बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुऐ तो सुनवाई का अवसर कैसे दिया जा सकता था। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि पटवारी हल्का मौके पर गया ही नहीं मौके पर गेहूँ की फसल हुई है जबकि पटवारी ने सरसों की फसल दर्ज की है सिद्ध नहीं होता क्योंकि अपीलान्टस ने इस सम्बन्ध में कोई राजस्व अभिलेख या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है ।

5 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये हैं वह प्रिन्टेड फार्म पर हैं जो कानूनन न्याय संगत नही है। पटवारी हल्का के बयान हस्तलिखित या कम्प्यूटराइड होना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय अपनाई जा रही यह प्रकिया न्यायिक प्रकिया के विरूद्ध है।

6 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.2.2018 के पैरा नम्बर 2 में यह अकिंत है कि अप्रार्थीयान नोटिस की विधिवत तामील के उपरान्त स्वंय उपस्थित आये। अतः उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने एक ओर अपीलान्टस् को उपस्थित बतलाया है दूसरी ओर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश भी दिये है। जबकि आर्डरशीट दिनांक 12.2.2018 में अपीलान्टस् को विधिवत तामीली के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये। इस प्रकार के निर्णय पारित करने से स्पष्ट होता है कि पीठासीन अधिकारी ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपने विवेक का उपयोग नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय न्याय संगत नहीं हैं। त्रुटि पूर्ण है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस् स्वीकार किया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.02.2018 को अपास्त किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्टस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्टस् को की गई सजा निरस्त की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का शेष निर्णय यथावत रहेगा । पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार बसेडी को प्रति प्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में अपीलान्टस् की विधिवत तामील कराकर, सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एन. एम. पहाडिया)
जिला कलक्टर धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)
जिला कलक्टर धौलपुर